

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

सं.— 10/निजी-01-1011/2025

पटना/दिनांक—

श्रीमती नमिता नायक (आई0डी0-5734), सहायक अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर का दिनांक—21.11.2025 से दिनांक—21.12.2025 तक कुल—31 (इकतीस) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम—227, 229, 230 एवं 248(क) के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—95(21) दिनांक—13.01.2026 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता (दिनांक—20.11.2025 तक) के आलोक में 31 (इकतीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्रीमती नायक के अवकाश लेखा में कुल—92 (बानवे) दिनों का उपार्जित अवकाश आदेय है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—
(सरफराज अहमद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक— 10/निजी-01-1011/2025

पटना/दिनांक—

प्रतिलिपि— प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक—PCFC/IRR/BES/2022/1975-95(21) दिनांक—13.01.2026 एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना के पत्रांक—1215 दिनांक—25.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/—
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक— 10/निजी-01-1011/2025

पटना/दिनांक—

प्रतिलिपि— मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/—
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक— 10/निजी-01-1011/2025

पटना/दिनांक—

प्रतिलिपि— अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर को वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—95(21) दिनांक—13.01.2026 को संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक—3186 दिनांक—14.08.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु०—यथोक्त।

ह०/—
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/निजी-01-1011/2025

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- श्रीमती नमिता नायक (आईडी-5734), सहायक अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

हो/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/निजी-01-1011/2025

571

पटना/दिनांक-

05/02/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

05/02/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।